विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 38)

[5 सितम्बर, 2005]

दि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) ऐक्ट, 1950 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारतीय गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2005 है।

2. अधिनियमितियों का निरसन—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां इसके द्वारा निरसित की जाती हैं।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

अधिनियमितियों का निरसन

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	वर्ष	अधिनियम सं०
1.	निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम	1950	31
2.	दि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) ऐक्ट	1950	44
3.	निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम	1951	64
4.	विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम	1954	12
5.	विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम	1954	44